

10/17/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Signature



प्रकेता



विक्रेता

B 235761


विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 15 माह 07 वर्ष 2011

की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं।

Signature

प्रकेता




विक्रेता

कमशः 2 पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 235758

(2)

एक पक्ष और श्री संजय कुमार गोंड पुत्र श्री भगवान प्रसाद गोंड निवासी—
मोहल्ला सिधारी, महादेव गली, पोस्ट— सिधारी, जिला— आजमगढ़ (उ०प्र०)
जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य
और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक
क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और
सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:—


क्रेता


विक्रेता

कमशः 3 पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-235760


(3)

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर- 14 पर निर्मित भूखण्ड संख्या-14/232 कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने ₹० 11,20,000.00 (₹० ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) जिसका आधा ₹० 5,60,000.00 (₹० पाँच लाख साठ हजार मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या-14/232) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक

कमश: 4 पर


अनुराग


विक्रंता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


(4)

केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन कय करने के लिए सहमत है अतएव ने रू० 11,20,000.00 (रू० ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि के प्रति फल स्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद एतद् द्वारा वृन्दावन योजना सं० 4 लखनऊ में रथत सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 14/232) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है:-


केता


विक्रेता

कमशः 5 पर






(5)

- (1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- (2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- (3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
- (4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
- (5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

क्रमशः 6 पर


क्रंता


विक्रेता




(6)

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

क्रमशः 7 पर



क्रेता


विक्रेता

206



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(7)

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या-14/232) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 12.50% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

कमशः 8 पर

[Handwritten Signature]
क्रेता

[Handwritten Signature]
विक्रेता

क्रेता को अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि का अधिकार प्राप्त होगा। क्रेता को अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि का अधिकार प्राप्त होगा। क्रेता को अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि का अधिकार प्राप्त होगा।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुर क्रेता को अतिरिक्त भूमि का अधिकार प्राप्त होगा। उक्त सम्पत्ति संख्या-14/232 स्थित है के अतिरिक्त अनुसूचित भूमि का अधिकार प्राप्त होगा। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक सम्बन्धित नहीं होगा या सम्बन्धित नहीं सम्झा जाये।

(10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अधीन होंगे।

जिसके साक्ष्य में श्री अनिल कुमार, सहायक आवास आयुक्त ने परिषद से लिए और उसकी ओर से और श्री संजय कुमार गौड़ आशयिता 14/232 क्रेता के स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

नोट-(1) अतः शासनादेश सं.वि.क.नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रू० 1,31,000.00 पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोट-(2) उक्त भूखण्ड का कुल मूल्य रू० 11,20,000.00 एवं ब्याज/अतिरिक्त ब्याज रू० 81,325.00 कुल रू० 12,01,325.00 आवटी द्वारा भुगतान किया गया है जिसपर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित आवासीय भूखण्ड सं० 14/232 एवं कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रू० 8500.00 एवं 9.00 मीटर चौड़ी सड़क पर भूखण्ड होने की दशा में 10% अतिरिक्त रू० 850.00 कुल रू० 9350.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ - रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 200.00 मीटर की मालियत रू० 18,70,000.00 है। जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 1,31,000.00 पर विक्रय-विलेख निष्पादित किया गया।

क्रमशः 9/11


20/11


विक्रेता

विक्रेता की गई समझौता की

समझौता नं० 14/232

सीमाएं	उत्तर- भूखण्ड सं० 14/233	क्षेत्रफल	200 00	मीटर
	दक्षिण- भूखण्ड सं० 14/231	उत्तर-	20 00	मीटर
	पूर्व- भूखण्ड सं० 14/221	दक्षिण-	20 00	मीटर
	पश्चिम- 9.00 मीटर चौड़ी सड़क	पूर्व-	10 00	मीटर
		पश्चिम-	10 00	मीटर

1-साक्षी: 1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

2-साक्षी: 1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

1-साक्षी: 1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

2-साक्षी: 1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

(कृते आवास आयुक्त)

विक्रेता

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

1-हस्ताक्षर
2-नाम संजय कुमार गोंड
3-पता मोहल्ला सिधारी, महादेव गली,
पो० सिधारी, जि० आजमगढ़
(उ०प्र०)।

विक्रय पत्र

1,870,000.00/ 1,870,000.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत फॉर्म रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री संजय कुमार गोड
पुत्र श्री भगवान प्रसाद गोड

Signature
15/7/11

प्यवसाय नौकरी
निवासी स्थायी मोहल्ला सिधारी महादेव गली सिधारी जिला आजमगढ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/7/2011 समय 1:46PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के.सिंह (प्रभारी)
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

Signature
15/7/11

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

क्रेता 15/7/2011

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ० प्र० आ० वि०प० द्वारा अनिल कुमार सहा० आ०आ० ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री संजय कुमार गोड
पुत्र श्री भगवान प्रसाद गोड
पेशा नौकरी
निवासी मोहल्ला सिधारी महादेव गली सिधारी जिला आजमगढ




ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री मो०मुवीन योजना सहा० आ० वि०प०

पेशा नौकरी
निवासी भगवान राम
पुत्र श्री स्व० राजरूप राम

पेशा नौकरी
निवासी मकान नं० 1035 एल्डिको लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अगुटे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के.सिंह (प्रभारी)
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

15/7/2011



: - 2440536(Off.)


OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3
(I.S.O.-9001:2000 CERTIFIED BOARD)

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD VRINDAVAN SCHEME No.-2,
H.No. 2C/117,118 & 119, RAI BEARILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF PLOT/HOUSE No. 14/232 SECTOR- 14
AT VRINDAVAN YOJNA No.-4, LUCKNOW
OWNER SRI. /SMT.

PLOT SIZE - 10.0 M X 20.0 M

PLOT AREA - 200.0 SQM



D/MAN

A.E.

A.E. **कंठ**

[Signature]
[Signature]
[Signature]
विक्रेता

जिस्ट्रेशन
कर्ता / क्रेता का ना
विवरण
पुस्तक संख्या


क्रेता

Registration No. : 10417

Year : 2011


Book No. : 1

0201 संजय कुमार गोंड
भगवान प्रसाद गोड
मोहल्ला सिधारी महादेव गली सिधारी जिला आजमगढ
नौकरी




दूशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता: श्री राजेंद्र कुमार जोशी, 5/6 श्री सुभाष नगर, सिव्हा, मजिदपुर्वा, पो- सिव्हा, जि- मुंबई-400 033
~~श्री राजेंद्र कुमार जोशी, 5/6 श्री सुभाष नगर, सिव्हा, मजिदपुर्वा, पो- सिव्हा, जि- मुंबई-400 033~~
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




[Signature]
 प्रस्तुतकर्ता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता :- श्री सानिल कुमार सहायक आवास आयुक्त/ ~~सम्पत्ति प्रबन्धक~~
 3090 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



[Signature]
 विक्रेता के हस्ताक्षर
विक्रेता

आज दिनांक 15/07/2011 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 12997
पृष्ठ सं. 39 से 60 पर क्रमांक 10417
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. सिंह (प्रभारी)

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

15/7/2011

